



UPRB010016502026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) रायबरेली।  
पीठासीन अधिकारी-(अमित कुमार पाण्डेय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP06246  
जमानत प्रार्थनापत्र सं०-656/2026

राम प्रकाश गौतम उम्र 55 वर्ष पुत्र प्रभू दयाल गौतम निवासी पूरे बल्दी मजरे मिर्जापुर ऐहारी  
थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

उ० प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), रायबरेली।

.....विपक्षी

मु० अपराध सं०-931/2020  
धारा- 138 बी० विद्युत अधिनियम  
थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली

### जमानत आदेश

- 1- प्रार्थी/अभियुक्त राम प्रकाश गौतम की ओर से मुकदमा अपराध सं०-931/2020 धारा-138 बी विद्युत अधिनियम थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.2020 को समय 15.25 बजे वादी मुकदमा ए.एच. जैदी प्र०नि० प्रवर्तल दल रायबरेली मय हमराह अवर अभियंता प्रदीप कुमार मौर्या, हे०का० राजेंद्र सिंह, हे०का० चंद्रशेखर यादव, हे०का० विनोद कुमार सिंह, हे०का० भोलाराम प्रवर्तन दल रायबरेली व खंडीय टीम एस.डी.ओ. जगतपुर श्री वरुण कुमार, अवर अभियंता श्री नीरज कुमार त्रिपाठी विद्युत उपकेंद्र इटौरा बुजुर्ग, टी.जी. 2 विनय कुमार, लाइनमैन मुन्नूलाल व संविदा लाइनमैन रामबक्श के साथ विद्युत चेकिंग एवं राजस्व वृद्धि हेतु थाना ऊंचाहार में मामूर थे, दौरान चेकिंग पूर्व में बकाये बिल पर कटे विद्युत संयोजन चेक किये गये, जो कि बिना भुगतान किये पुनः अवैध रूप से संयोजन जोड़ कर विद्युत का उपयोग अपने परिसर में करते हुए पाये गये।
- 3- जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष व्यक्ति है। प्रथम दृष्टया अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नहीं सृजित होता है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रस्तुत मामले में फर्जी नामित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

इसके अलावा न कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में, न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4- विद्वान ए०डी जी०सी० के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किय गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाये पर कटे संयोजन चेक किये जो बिना भुगतान किये पुनः अवैध रूप से संयोजन जोड़ कर चलाते पाये गये। विद्युत विभाग द्वारा पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा मेरे द्वारा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6- प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्विस्तार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राम प्रकाश गौतम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 656/2026, मुकदमा अपराध सं०- 931/2020 धारा-138 बी विद्युत अधिनियम थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिह किया जाये।

दिनांक:11.03.2026

(अमित कुमार पाण्डे)  
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,  
विशेष न्यायाधीश (इ.सी.एक्ट)  
रायबरेली।